

‘मशिन वात्सल्य योजना’का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

27 जुलाई, 2023 को बाल अधिकारिता विभाग की शासन सचिव डॉ. आरुषि भलकि ने शासन सचिवालय के समितिकक्ष में आयोजित राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि ‘मशिन वात्सल्य योजना’का अनुमोदन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मशिन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण व्यवस्था के सुदृढीकरण तथा बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य एवं प्रत्येक जिला स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा।
- बैठक में सामूहिक फोस्टर केयर, व्यक्तिगत फोस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के नवीन दिशा-निर्देशों पर चर्चा कर अनुमोदन किया गया है।
- बाल अधिकारिता विभाग की शासन सचिव ने बताया कि उपेक्षित बालक-बालिकाओं को संस्थागत देखरेख की जगह अब पारिवारिक देखरेख के अंतर्गत पालन-पोषण देखरेख उपलब्ध हो सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

